निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या — 28/2019(रै0वाद)
दायर दिनांक — 25/04/2019
निर्णय दिनांक —22/11/2024

अनवान

1. नारायणलाल पिता किशोरलाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा(ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. तुलसीराम पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. जमना बाई पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. सोनलबाई पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. नोजी बाई पत्नी किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से — पैरोकार सरकार

वाद पत्र :—अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी उनके परिवारजन की खातेदारी भूमि ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ में स्थित होकर खाता संख्या 26ध1 रकबा 05 बीघा पडत ।। में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी नारायणलाल के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में केसाराम लिखा हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेवन से गलत लिख दिया गया है वादी के पिता का शुरुआत से प्रचलित एवं अन्य आम कार्यवाही संबोधन

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

व्यवहार एवं अन्य लेन–देन एवं सरकारी रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम किशोरलाल लिखा हुआ है। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में पिता का नाम किशोर लिखा हुआ है। वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में केसाराम उर्फ किशोर लिखा हुआ है जबकि वादी के पिता का नाम किशोर ही है वादी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम केसाराम लिखा होने एवं अन्य रिकॉर्ड में पिता का नाम किशोर लिखा होने से रिकॉर्ड संबंधी आति उत्पन्न होती है एवं सही नाम का स्पष्टीकरण नहीं होता है जिससे काफी परेशानी एवं समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा वादी भविष्य में बैंक से लोन व कई प्रकार की सरकारी योजना का लाभ लेने में पिता के नाम में फर्क होने से कई प्रकार की समस्या हो जाती है जिससे उनके लिए भी यह समस्या समान रूप से बनी हुई तथा उनके वर्तमान में बाहर होने से उन्हे वाद पत्र में प्रतिवादी गण 2. 3. 4 एवं 5 बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 18.03.2019 को प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ग्राम विजयपुरा पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 57 खसरा संख्या 267/1 रकबा 05 बीघा पडत ।। में वादी नारायणलाल एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के पिता का नाम व वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम केसाराम के बजाय किशोरलाल दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री सादीर फरमाई जावे एवं माफिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में खातेदारी भूमि होना स्वीकार है। प्रार्थना की कलम संख्या 02 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना की कलम संख्या 03 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। वादपत्र की कलम संख्या 04 से 10 कानूनी है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 57 खसरा संख्या 267/1 रकबा 05 बीघा पडत ।। में वादी नारायणलाल एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के पिता का नाम एवं वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम केसाराम गलत दर्ज है। जबकि वादी नारायण एवं एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के पिता का नाम व वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम किशोरलाल सही है। वादी अधिवक्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा का प्रमाण–पत्र, राशन–कार्ड, जनाधार–कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किया सभी दस्तावेजो मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 एवं वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम किशोर अंकित है जो कि सही है। साथ ही श्रीमती दाखु पत्नी रामलाल जाति सालवी निवासी नई आबादी विजयपुरा तहसील देवगढ़ एवं सुरेश पिता रामलाल जाति सालवी निवासी नई आबादी विजयपुरा तहसील देवगढ़ का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right— (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम विजयपुरा पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराने खाता संख्या 55 आराजी संख्या 267/1 के नवीन खाता संख्या 64 खसरा संख्या 16 एवं 19 में वादी नारायण लाल एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के पिता का नाम व वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम केसाराम हटाकर उनके स्थान पर किशोरलाल राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना कोठारी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 28/2019

अनवान

1. नारायणलाल पिता किशोरलाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा(ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. तुलसीराम पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. जमना बाई पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. सोनलबाई पिता किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. नोजी बाई पत्नी किशोर लाल उर्फ केसाराम जाति सालवी निवासी नयी आबादी विजयपुरा (ग्रामीण) कामलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 22/11/2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम विजयपुरा पटवार मण्डल कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराने खाता संख्या 55 आराजी संख्या 267/1 के नवीन खाता संख्या 64 खसरा संख्या 16 एवं 19 में वादी नारायण लाल एवं प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 के पिता का नाम व वादी की माता नोजी बाई के पति का नाम केसाराम हटाकर उनके स्थान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

पर किशोरलाल राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22 / 11 / 2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

([illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द